<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 01/2024 (डूंगरपुर आर्डर)</u>

श्रीमती मणी पत्नी सोमा कटारा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती पुत्री कुरीया मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती कंकू पत्नी कचरू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. कपा पुत्र नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. कान्ति पिता कचरू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. दिनेश पिता नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. दीपा पिता नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. प्रकाश पिता नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. प्रवीण पिता नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
9. श्रीमती सविता पुत्री कचरू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
10. श्रीमती सविता पत्नी नाथू मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
11. भगवान पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
12. गौतम पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
13. वालजी पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
14. हीरा पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
15. नारायण पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:48 IST
Reason: SelfAttested

16. शंकर पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
17. श्रीमती कंकू पिता धूला मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
18. श्रीमती हुकी पिता हुका मीणा, निवासी बनकोडा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसपुर दिनांक 25.07.2024 प्रकरण संख्या 04/2020

———::———

उपस्थित :– 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बजरंग प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 16–06–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के दादा हुका पिता वाला मीणा के एक पुत्र एवं एक पुत्री संख्या 18 हुई थी। वादीया के पिता धूला जी के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 17 पुत्र एवं पुत्री हैं। वादीया के दादा की आराजी नंबर 2334 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 2372 रकबा 0 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2339 रकबा 19 बिस्वा भूमि ग्राम बनकोडा में स्थित है। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजियात के नये नंबर 2714 रकबा 0.1861 हैक्टर बने। वादीया के दादा हुका की मृत्यु पश्चात वादीया के पिता धूला अशिक्षित होने से नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया, जिसका नाजायज लाभ उठाकर अन्य हुका के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वजों के खाते दर्ज करवा ली, जबकि कब्जा आज भी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 18 का आराजी नंबर 2714 पर चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 2714 रकबा 0.1861 की इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 19 को दिया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.07.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन संबंधी शिविर लगने पर शिवरों में नियमानुसार आवंटन प्रकिया में भाग लिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:48 IST
Reason: SelfAttested

के अधिकार सुरक्षित रखते हुए खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09–09–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंग प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु अन्य हुका के नाम भूमि दर्ज हो जाने से इन्द्राज दुरस्ती चाही गयी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे तथा इन्द्राज दुरस्ती का आदेश फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03–12–2012 उदयलाल व अन्य बनाम सरकार की फोटो प्रति प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसका श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट उक्त निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय आज दिनांक 16–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:48 IST
Reason: SelfAttested